रजिस्टर्ड नं० एल0-33/एस0 एन0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 11 दिसम्बर, 1996/20 अग्रहायण, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 16 अक्तूबर, 1996

संख्या कोप-ए0(3)-1/95.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार (वर्ग-I राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग संयुक्त रजिस्ट्रार (वर्ग-I राजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या कोप ए0 (1) 1/79, तारीख 23-8-1979 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग वर्ग-I सेवाएं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सभाओं के पद के (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमों को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई बात, नियुक्ति या कार्यवाही इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
रवि ढींगरा,
आयुक्त एवं सचिव ।

उपाबन्ध "अ"

सहकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं (राजपत्रित वर्ग-I) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं
2.	पदों की संख्या	2 (दो)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान	रुपये 3000-100-4000-125-4500
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : जैसा नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित किया गया है ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिका ी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा ।	उप-रजिस्ट्रारों में से प्रोन्नति द्वारा जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष हो, और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1991 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित कर तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप-रजिस्ट्रारों में से जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष हो, जिनका उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार दोनों के रूप में संयुक्त, पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1991 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवा काल हो, प्रोन्नति द्वारा। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिये इन शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी :— (1) उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु उन सभी पदधारियों को जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम होगी : परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा । **स्पष्टीकरण.**—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत

	वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों। (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी : परन्तु 31-3-91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा।	लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	लागू नहीं
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा	1. सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1976 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी अन्यथा वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा:— (i) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए, (ii) परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भी स्थायीकरण के लिए, और (iii) अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए : परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतः या अंशतः विभागीय परीक्षा पारित की है, यथास्थिति पूर्णतया या अंशतः परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी से जिस लिए, इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व, कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी उससे 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:—

(i) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए, और

(ii) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थायीकरण के लिए ।

2. किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पारित कर ली है ।

3. सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट मंजूर कर सकेगी, परन्तु यह जब तक कि ऐसे अधिकारी पर उसकी अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किसी अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना सम्भाव्य न हो ।

18. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[*Authoritative english text of this department notification No. Co-op. A* (3)-1/95, *dated 16th October*, 1996 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the 16th October*, 1996

No. Co-op. A (3)-1/95.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Registrar, Co-op. Societies (Class-I, Gazetted) in the Department of Co-operation, as per Annexure 'A' attached to this Notification, namely: —

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Co-operative Department Joint Registrar (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Co-op. Department, Class-I Services Recruitment and Promotion Rules, 1979, for the post of Joint Registrar Co-operative Societies notified *vide* Notification No. Co-op. A (1)-1/79, dated 23-8-1979 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules, so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

RAVI DHINGRA,
Commissioner-cum-*Secretary*.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES (GAZETTED CLASS-I) IN THE DEPARTMENT OF CO-OPERATION, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Joint Registrar Co-operative Societies
2.	Number of posts	2 (Two)
3.	Classification	Class-I (Gazetted)
4.	Scale of pay	Rs. 3000-100-4000-125-4500
5.	Whether selection post or non-selection post?	Selection
6.	Age for direct recruitment	Not applicable

7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
8.	Whether age and educational qual fications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	*Age* : Not applicable *Educational qualifications* : As prescribed in Col. 11 below.
9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotions/deputation/ transfer is to be made.	By promotion from amongst the Deputy Registrars holding Degree of Bachelor of Arts or its equivalent and possessing 3 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1991) service, failing which by promotion from amongst the Deputy Registrars holding Degree of Bachelor of Arts from a recognised University or its equivalent with five years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-19991) service both as Deputy Registrar/ Assistant Registrar combined. (1) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for the promotion subject to the conditions :— (*i*) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that

		prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. *Explanation.*—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service: Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H. P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law
14.	Essential requirement for a direct recruitment.	Not applicable
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Not applicable
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination

(1) Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to :—

(*i*) crossing of efficiency bar next due,

(*ii*) confirmation in the service even after completion of probationary period, and

(*iii*) promotion to the next higher post:

Provided that an officer who has qualified the Departmental Examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these rules shall not be required to qualify the whole or in part of the examination, as the case may be :

Provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March, 1976 shall not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under these rules:

Provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the notification of these rules and who had not attained the age of 45 years on 1-3-1976, shall not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under these rules after attaining the age of 50 years for the purpose of, (*i*) crossing of efficiency bar next due, and (*ii*) confirmation in the service after completion of probationary period.

(2) An officer on promotion to higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(3) The Government may, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any class or category of persons from the Departmental Examination in whole or in part provided that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

18. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the H. P. P. S. C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।